http://amritkalashtimes.com

अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18
अंक : 44

प्रयागराज मंगलवार 29 अक्टूबर 2024

पृष्ठः- 4, मूल्यः- एक रूपया

पुलिस हिरासत में मौत: पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी

● 10 लाख की आर्थिक मदद, बच्चों की शिक्षा की फ्री व्यवस्था

लखनऊ,(एजेंसी)। राजधानी में पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद दी। साथ ही बच्चों को शिक्षा फ्री और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का आश्वासन दिया। राजधानी लखनऊ में दो दिन पहले पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत हो गई थी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को तत्काल 10 लाख की आर्थिक मदद दी। बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात कही। सरकारी आवास के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक योगेश शुक्ला एवं सभासद शैलेंद्र वर्मा परिवार के साथ पहुंचे थे। बताते चलें कि चचेरे भाई से पैसों के विवाद में पुलिस ने मोहित पांडेय को घर से उठाया था। लॉकअप में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा है दर्ज लॉकअप में मोहित के साथ बंद उसके भाई शोभाराम ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि भाई को लॉकअप में टॉर्चर किया गया है। उसे पीटा गया है। तबीयत खराब होने के बाद भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। मामले में मां की तहरीर पर चिनहट थाना इंस्पेक्टर और चचेरे भाई आदेश सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।राजधानी लखनऊ में दो दिन पहले पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत हो गई थी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को तत्काल 10 लाख की आर्थिक मदद दी। बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात कही।

पीएम मोदी ने स्पेनिश राष्ट्रपति के साथ टाटा प्लांट का किया उद्घाटन, बोले...

विमानन हब बन रहा भारत

● विमान निर्माण प्लांट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को किया याद, बोले- वो हमारे बीच होते तो खुश होते

वडोदरा,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज के साथ वडोदरा में ₹295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। यह विमानन क्षेत्र में श्मेक इन इंडियाश अभियान के तहत प्रमुख पहल है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार की सुबह गुजरात के वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। स्पेन के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में बधाई देते हुए लिखा कि श्भारत में आपका स्वागत हैश। वडोदरा में विमान निर्माण प्लांट का किया उद्घाटन विदेश मंत्रालय ने कहा, श्स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा पहुंचे, जो 18 वर्षों में किसी स्पेनिश राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। भारत-स्पेन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह आधिकारिक यात्रा अहम है।श वडोदरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राष्ट्रपति सांचेज का स्वागत किया। स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ वडोदरा में ₹295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया, जो विमानन क्षेत्र में श्मेक इन इंडियाश अभियान के तहत प्रमुख पहल है। इस प्लांट की स्थापना टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने एयरबस स्पेन के साथ मिलकर की है। मुंबई का दौरा भी करेंगे स्पेनिश राष्ट्रपति स्पेन के राष्ट्रपति के वडोदरा दौरे के लिए शहर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। यह राष्ट्रपति सांचेज की भारत की पहली यात्रा है, जो 18 साल बाद हो रही है। राष्ट्रपति सांचेज मुंबई भी जाएंगे, जहां आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा, वे व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, थिंक टैंक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे। वे स्पेन-इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथे स्पेन इंडिया फोरम को संबोधित करेंगे। स्पेनिश राष्ट्रपति प्रमुख फिल्म स्टूडियो का भी दौरा करेंगे।

हम वाराणसी की पीड़िता की लड़ाई में उसके साथ हैं: लाम्बा-फोगाट

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा तथा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नव निर्वाचित पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि वाराणसी में पीड़ित महिला के परिजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भारतीय

जनता पार्टी (आरएसएस-भाजपा) नेता की सह पर जेल में है और जिस पर आरोप लगे हैं, वह छुट्टा घूम रहा है इसलिए पीड़िता की लड़ाई में वे उसके साथ खड़ी हैं और मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सुश्री फोगाट ने सोमवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीड़िता को आरएसएस-भाजपा नेता चार साल से दुष्कर्म की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस में शिकायत करने पर उसे जेल भेजने की बजाय पीड़िता के परिजनों को ही जेल में डाल दिया और आरोपी खुला घूम कर भाजपा नेताओं का उसे बचाने के लिए आभार जता रहा है। श्रीमती लाम्बा ने कहा, "बेटी बचाओश का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक बेटी की आपबीती है जिसे भाजपा आरएसएस नेता राजेश सिंह चार साल से उसे बलात्कार की धमकियां दे रहा है और सत्ता में बैठे लोगों का फायदा उठाकर आजाद घूम रहा है, जबकि पीड़िता का परिवार जेल में है।

जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में मुठभेड़

● जम्मू-कश्मीर के अखनूर में आतंकियों का हमला, सेना पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में तीन ढेर

जम्मू,(एजेंसी)। जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सोमवार तड़के सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुबह आतंकवादियों ने जम्मू में अखनूर के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास बट्टल केरी-जोगवान इलाके में सेना की एक एम्बुलेंस पर गोलीबारी की। पुलिस ने कहा, "माना जा रहा है कि तीन आतंकवादियों को अखनूर के सुंदरबनी सेक्टर के खौर इलाके में अस्सन मंदिर, बट्टल के पास देखा गया है।" उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सेना की एम्बुलेंस पर कुछ राउंड फायरिंग की जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस तथरा सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा, श्आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और गोलीबारी शुरू हो गई।श उन्होंने बताया कि गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और ऑपरेशन जारी है। सेना ने बताया कि आतंकवादियों ने सुबह सुंदरबनी सेक्टर में अस्सन के पास सेना के वाहनों को निशाना बनाते हुए एक काफिले पर गोलीबारी की। सेना ने कहा, "हमारे सैनिकों की त्वरित जवाबी कार्रवाई से प्रयास विफल हो गया और कोई हताहत नहीं हुआ। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों की धर-पकड़ के लिए तलाशी अभियान जारी है।"सुरक्षाबलों ने तीन को किया ढेर जम्मू-कश्मीर के अखनूर इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यहां बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों ने सुबह सेना की एंबुलेंस पर गोलीबारी की थी। हालांकि, हमले में किसी के अभी तक घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि तीन आतंकवादी मारे गए और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल, तलाशी अभियान जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, आतंकी पहले मंदिर में घुस गए थे और एक मूर्ति को खंडित कर दिया। लेकिन वहां मौजूद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां से भागते वक्त आतंकियों ने सेना की एंबुलेंस पर फायरिंग कर दी। जम्मू एसएसपी ने कहा कि माना जा रहा है कि तीन आतंकवादी जम्मू जिले के अखनूर के अस्सान मंदिर के पास देखे गए। उन्होंने सेना की एम्बुलेंस पर कुछ राउंड फायरिंग की।

महाराष्ट्र के साथ बड़ा भेदभाव कर रहे हैं मोदी: कांग्रेस

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र के साथ भेदभाव कर रहे हैं और देश की आर्थिक राजधानी को गुजरात के बड़ोदरा में स्थानांतरित करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि टाटा की एयरबस बनाने के महाराष्ट्र के नागपुर में लगने वाली फैक्ट्री का श्री मोदी ने वडोदरा से उद्घाटन कर आर्थिक राजधानी को बदलने का संकेत दे कर उन्होंने महाराष्ट्र के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है, लेकिन अब भेदभाव की राजनीति नहीं होने दी जाएगी। श्री खेड़ा ने प्रधानमंत्री से पूछा श्मोदी जी। महाराष्ट्र से भेदभाव क्यों। नागपुर में लगने वाले टाटा एयरबस सी-295 फैसिलिटी का वडोदरा में उद्घाटन कर महाराष्ट्र के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी गुजरात ले जाने की साजिश की जा रही है।श उन्होंने कहा, श्आपकी सरकार के दबाव में गुजरात भेजे गये 17 बड़े उद्योग। वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर टाटा एयरबस यही नहीं, इंटरनेशनल फायनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी), डॉयमंड ट्रेड सेंटर, बल्क ड्रग पार्क वगैरह, वगैरह भी महाराष्ट्र से छीन लिए गए। भेदभाव और बंटवारे की सियासत अब नहीं चलेगी।श

सलमान को धमकाने वाले बिश्नोई गैंग ने बिहार के सांसद को दी धमकी

● पप्पू यादव ने लॉरेंस को दी थी चुनौती

पटना,(एजेंसी)। सांसद पप्पू यादव को फोन करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने कहा कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास है। इसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया रेंज के डीआईजी, एसपी के अलावा डीजीपी को भी शिकायत की है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अलग अलग दो-दो गैंगस्टरों ने धमकी दी है। सांसद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने धमाकाया है। कहा कि टीआरपी कमाने के चक्कर में न पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। बता दें कि इसी गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस दो टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस घटना के करीब 13 दिन बाद अब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया रेंज के डीआईजी, एसपी के अलावा डीजीपी को भी शिकायत की है। पप्पू यादव को फोन करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने कहा कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास है। यही नहीं जेल में रहने के दौरान जैमर बंद करके उसने पप्पू यादव को वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद से कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें एक शख्स पहले पप्पू यादव को बड़े भाई कहकर संबोधित कर रहा। उनकी तारीफ कर रहा। इसके बाद दूसरे ऑडियो में पप्पू यादव को अपशब्द कह रहा। शख्स ने कहा कि भाई ने जेल से जैमर बंद करवा कर वीडियो कॉल किया था। लेकिन, तुमने नहीं उठाया। यह गलत किया। इसका अंजाम भुगतना होगा। सोशल मीडिया पर दी धमकी झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पप्पू यादव को धमकी दी है। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में लिखा है कि समाचार पत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन द्वारा लॉरेंस भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था।

मुंबई में पार्टी की जरूरत: राउत राउत

मुंबई,(एजेंसी)। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नई सूची में सोलापुर दक्षिण सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। यह तब हुआ है जब हम पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच तनातनी चल रही है। इस बीच, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर चेतावनी दी। दरअसल, इस सीट से शिवसेना (यूबीटी) पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। श्डट। के लिए समस्या पैदा कर सकता है ऐसा रवैयाश राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस इस सीट पर ऐसा कुछ करती है तो यह उकसाने का काम होगा और महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा, श्कांग्रेस ने अपनी नई सूची में सोलापुर दक्षिण सीट से अपने उम्मीदवार (दिलीप माणे) की घोषणा की है। यह तब हुआ है जब हम पहले ही अपना उम्मीदवार (अमर पाटिल) उतार चुके हैं। मैं इसे कांग्रेस द्वारा टाइपिंग की गलती मानता हूं। ऐसी गलती हमारी तरफ से भी हो सकती है।श उन्होंने आगे कहा, श्मैंने सुना है कि स्थानीय कांग्रेस नेता मिराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं, जो हमारे सीट-बंटवारे के फॉर्मूले का हिस्सा है। अगर ऐसा संक्रमण (सहयोगियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का) पूरे राज्य में फैलता है, तो यह एमवीए के लिए समस्याएं पैदा करेगा।

इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर

● अब 19 नवंबर तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। आत्मसमर्पण से पहले इंजीनियर राशिद ने कहा कि हम जनता के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जेल में हों या घर में, हम हमेशा लोगों के कल्याण, कश्मीर के कल्याण और शांति की बात करेंगे लेकिन सम्मान और गरिमा के साथ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और बारामुल्ला के सांसद शेख अब्दुल राशिद जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, ने सोमवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। आतंकी फंडिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है और दिल्ली की एक अदालत ने नियमित जमानत पर आदेश की घोषणा 19 नवंबर तक टाल दी है। इंजीनियर राशिद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में उनके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। आत्मसमर्पण से पहले इंजीनियर राशिद ने कहा कि हम जनता के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जेल में हों या घर में, हम हमेशा लोगों के कल्याण, कश्मीर के कल्याण और शांति की बात करेंगे लेकिन सम्मान और गरिमा के साथ। हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बारामुल्ला के सांसद ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से कहूंगा कि सच्चाई हमारे साथ है, हम गलत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति और विकास हो। लेकिन हमें अपने अधिकार भी वापस चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने 15 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के सांसद को दी गई अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 28 अक्टूबर तक टाल दिया था। आज, अदालत ने राशिद के खिलाफ एनआईए द्वारा 2017 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) आतंकी फंडिंग मामले में फिर से आदेश 19 नवंबर तक टाल दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह आदेश पारित किया, इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा था कि उसने दस्तावेजों की जांच कर ली है और वह आवेदन का विरोध नहीं कर रही है। राशिद के वकील ने अदालत को बताया कि यह आखिरी बार है जब उनके मुवक्किल ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की है।

वकील ने कहा कि एनआईए ने उनके मुवक्किल द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया है।

अन्तर्व्यूह !

कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का चुनाव हार कर पूरे देश में अपने पक्ष में चल रही हवा की रफ्तार मद्धिम कर दी है। कांग्रेस पार्टी भारत की मिट्टी की सुगंध में रची–बसी ऐसी जमीनी पार्टी मानी जाती है जिसमें देश की विविधता समाहित होकर इन्द्र धनुषी रंग बिखेरती है। देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने वाली इस पार्टी की तासीर में सहिष्णुता इस प्रकार घुली हुई है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले भारतवासी इसमें अपने राजनैतिक बोध का एहसास करते हैं। कांग्रेस की विशिष्टता यही है जिसकी वजह से 1947 से पहले अंग्रेज सरकार इससे खौफ खाती थी। यह निरर्थक नहीं था कि भारत को तोड़ने वालों का सबसे बड़ा एहलकार मुहम्मद अली जिन्ना इसे हिन्दू पार्टी कहता था। अंग्रेजों ने उसकी इसी मानसिकता को बढ़ावा देकर भारत के दो टुकड़े किये और पाकिस्तान का निर्माण कराया। इसके बावजूद स्वतन्त्रता के बाद से ही भारतीय मुसलमानों सहित विभिन्न अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हिन्दुओं समेत इस पर विश्वास जमा रहा और यह पार्टी भारत पर लम्बे समय तक राज करती रही। इस दौरान कांग्रेस पार्टी में कुछ खामियां भी आयीं ।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में जिन भी राजनैतिक दलों का ग्राफ ऊपर गया उस सबकी वजह कांग्रेस की ये खामियां ही रहीं। वरना यदि हम गौर से भारत की राजनीति का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो पिछली सदी (1900 से लेकर 2000 तक) का भारत का इतिहास वही रहा जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। पार्टी की हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनावों में हुई हार का विश्लेषण करने से हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वह यही है कि पार्टी अपनी अन्तर्निहित खामियों को दूर करने में समर्थ नहीं हो पा रही है जबकि इसका नया नेतृत्व श्री राहुल गांधी की छाया में आ चुका है। हरियाणा में चुनाव से पूर्व बेशक कांग्रेस के पक्ष में तेज हवा चल रही थी मगर पार्टी की आन्तरिक गुटबाजी और धड़े बन्दी की वजह से यह जीती हुई बाजी हार गई। इसका दोष मतदाताओं को नहीं दिया जा सकता बल्कि पार्टी के नेताओं को दिया जा सकता है। इन नेताओं ने अपना आपसी हिसाब–किताब पूरा करने के चक्कर में पार्टी की नैया को ही डुबो दिया। इन नेताओं ने कांग्रेस में रहते हुए ही कांग्रेस का बेड़ा डुबाने में अहम भूमिका अदा की जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। हरियाणा ग्रामीण संस्कृति का प्रदेश माना जाता है और कांग्रेस की पकड़ गांवों में मजबूत इसलिए मानी जाती है कि यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था के बीच भी लोक कल्याणारी राज की स्थापना की वकालत करती है।ोक कल्याणकारी राज वही कहलाता है जिसमें समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े व्यक्ति को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए सभी सरकारी नीतियां होती हैं। इसके पीछे एक सुनिश्चित विचार कार्य करता है जिसे गांधीवादी विचार कहा जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी अपने जीवनभर यही उपदेश देते रहे कि लोकतन्त्र में जो सरकार लोगों को मूलभूत आवश्यक जीवन सुविधाएं न उपलब्ध करा सके वह सरकार नहीं बल्कि अराजकतावादियों का जमघट होती है। राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जनता के सामने यही विमर्श प्रस्तुत करते रहे। इसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और 90 सदस्यीय विधानभा में इसकी कुल 37 सीटें आयीं और भाजपा को पूर्ण बहुमत 47 सीटों पर मिला।दरअसल हरियाणा में गांधीवाद की पराजय नहीं हुई है बल्कि कांग्रेस की पराजय हुई है क्योंकि राज्य में चुनाव जीतने वाली भाजपा ने जन कल्याण के नाम पर वोट मांग कर गांधीवाद के ही उस सिद्धान्त को पकड़े रखा जिसमें मतदाता को अपनी छवि दिखाई देती है। जबकि भाजपा को राष्ट्रवादी विचारों की प्रवर्तक पार्टी माना जाता है। भाजपा के राष्ट्रवाद का सिरा हिन्दुत्व से जाकर जुड़ता है और यह पार्टी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की पैरोकार अपने जन्म 1951 से लेकर ही रही है लेकिन हरियाणा में जो हुआ उसे छोड़ कर अब महाराष्ट्र और झारखंड की बात करनी चाहिए जहां अगले महीने चुनाव होने हैं।

आज का राशिफल

डॉ बिपिन पाण्डेय
ज्योतिष विभाग
लखनऊ विवि

मेष–आज मन खुश रहेगा व जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के आसार हैं आपको थोड़ा संयम से रहने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार का कोई सदस्य आपके लिये मार्गदर्शक बनेगा। थकान महसूस होगी। आराम के लिए समय निकालें।

वृष –आज आपको स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन उन्हें इस कड़ी मेहनत का अपेक्षित परिणाम भी हासिल होगा। दिन की शुरुआत में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है।

मिथुन –आज अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेल–मिलाप आपको व्यस्त रखेगा। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है।

कर्क –दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाए बिना उलझना ठीक नहीं है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धर्म–कर्म में आस्था बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य में विलंब संभव है। लाभ होगा। अपने प्रेमी या जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह –आज पुरानी गलतियों को लेकर भय बना रहेगा। साझेदारी में चल रहा गतिरोध दूर होने के आसार है। आयात–निर्यात के कारोबार में बड़ा लाभ संभव है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करना आसान रहेगा। दूसरों की गलती अपने पर आ सकती है। काम में देरी से लाभ की मात्रा सीमित होगी।

कन्या –आज के दिन आपको सुख–समृद्धि, कार्यक्षेत्र में उन्नति, सुखद सफल यात्राएं, परिवार और जीवन साथी का सहयोग सब मिलने के आसार हैं। विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी में पूर्णतया विश्वास जतायें अन्यथा संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। आपके कर्मक्षेत्र, आपके सम्मान व आपके नाम पर पडने के आसार हैं।

तुलाःआज भाग्य आपके साथ है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को नया रूप देने के लिए अच्छा मौका है। आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अचानक सेहत बिगड़ सकती है और कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। परिवार के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं।

वृश्चिकः आज आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इससे बचने के लिए कहीं बाहर जाएं और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं।आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे, वहाँ से नयी दोस्ती की शुरुआत होगी। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है।

धनुः आज आपके परिश्रम से किए गए कार्य में सिद्धि होगी। नौकरी में आप का सम्मान बढेगा। यात्रा के दौरान आप नयी जगहों को जानेंगे। और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आप अपने प्रिय द्वारा कही गयी बातों के प्रति काफी संवेदनशील होंगे। अगर आप सूझ–बूझ से काम लें, तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं।

मकरः आज आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। आकस्मिक धन के अवसर मिलेंगे। मित्रों और जीवनसंगिनी के सहयोग से राह आसान होगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दफ्घ्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। अपने जज्बात पर काबू रखें। आज आपको अपने प्रिय की याद सताएगी।

कुंभः आज आप करिअर से जुड़े फैसले खुद करें, बाद में इसका लाभ आपको मिलेगा। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। माता–पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आज दोस्तों के साथ बाहर घूमना आपके मन को खुशी देगा।

मीनः आज भाग्य पर निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे, जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है।

नए एक्सटेंशन वाली दिशा में बढ़ते मोहन

प्रकाश भटनागर

किसी अच्छे काम को आगे ले जाना समझदारी है। वैसे भी मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री भले ही बदले हों लेकिन सरकार में वहीं राजनीतिक दल है जिसकी प्रदेश में जड़े बहुत गहरी जम चुकी हैं। इसलिए ऐसे में किसी काम को सिरा पकड़कर सिरे से नया तथा उल्लेखनीय रूप देना उस समझदारी में चार चांद लगाने जैसा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने हाल ही में इस तरह की नीति और नीयत, दोनों का एक बार फिर ठोस तरीके से परिचय दिया है।

प्रदेश में उज्ज्वला योजना का लाभ पा रही 46 लाख लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखी जा रही है। इस साल अगस्त में तो सभी लाड़ली बहनों को राखी के उपहार के तौर पर ढाई सौ रूपए के शगुन का लाभ भी बरकरार रखा गया है। इस बात में कोई संशय नहीं कि डा. यादव के पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान ने अपने समय में श महिला कल्याण से संभावनाओं के निर्माणय वाला अद्भुत फामूर्ला लागू कर जबरदस्त तरीके से भाजपा को सियासी लाभ दिलाया था। चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी से लेकर लाड़ली बहना योजना तक के सफर में अनेक ऐसे पड़ाव स्थापित किए, जिनसे भाजपा को तगड़ा राजनीतिक माइलेज मिला।

यही वजह रही कि जब राज्य में डा. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, तब मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने सरकार पर यह कहकर ताबड़तोड़ प्रहार किए कि लाड़ली बहना योजना अब बंद की जा रही है। जाहिर है कि कांग्रेस भी इस बात को भांप चुकी थी कि यदि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को कमजोर करना है, तो उसके महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों और लगभग भाजपा का वोट बैंक बन चुकी महिलाओं के लाभ की योजनाओं को ही टारगेट करना होगा। इस दल ने विधानसभा चुनाव से पहले भी महिलाओं को सम्मान निधि और सस्ते सिलेंडर देने की बात कहकर शिवराज की योजनाओं को काउंटर करने का प्रयास किया था। कांग्रेस दोनों ही अवसरों पर असफल रही। खासतौर से लोकसभा चुनाव में ऐसा होने की प्रमुख वजह यह कि डा. मोहन यादव ने इस दिशा में टस से मस हुए बगैर श्जस की तस धर दीनी चदरियाय से भी एक कदम आगे जाकर शिवराज के कार्यक्रमों को गति और प्रगति प्रदान की।

लाड़ली बहना योजना तो बदस्तूर जारी है, डा. मोहन यादव ने शुरू में बताए गए और भी महिला–हितैषी निर्णयों के माध्यम से इस दिशा में नए काम शुरू कर दिए हैं। यह एक तरह से वह एक्सटेंशन भी है, जो किसी श्चले आ रहेय को श्चलते ही जाना हैय वाला नवाचार भी प्रदान करता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब सरकार यह बात लागू करती है कि वह गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच की सुविधा देगी, तो यह शिवराज की जननी सुरक्षा योजना का एक ठोस तथा निर्णायक एक्सटेंशन ही कहा जाएगा।

मामला निश्चित ही सियासी मुनाफे वाला है। वर्ष 2003 में उमा भारती ने प्रदेश के घरों के भीतर तक जाकर राजनीतिक मुद्दों को हवा दी। घरों में बिजली की कमी और सड़कों पर गड्ढों के ऐसे विषय प्रमुखता से उठाए, जो सीधे परिवार से जुड़ी समस्याओं को छूते हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी मैनेजमेंट की थ्योरी में मगन रहे और उमा ने अपने ऐसे मुद्दों के जरिए श्कहानी घर–घर कीय वाली शैली में प्रदेश की जनता के दर्द को सीधे भुना लिया। फिर शिवराज। उन्होंने घर में भी महिलाओं की शक्ति पर खास फोकस किया। नतीजा सामने है। अब डा. मोहन यादव भी इस दिशा में न सिर्फ आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि वे नवाचार भी अपना रहे हैं। अब भले ही इसके जरिए महिला वोटरों को भाजपा से जोड़े रखने की रणनीति पर अमल किया जा रहा हो, लेकिन तुष्टिकरण और जात–पात की राजनीति से बहुत अलग यह मामला औरों के मुकाबले श्अधिक साफ–सुथराय कहा ही जा सकता है।

खास बात यह भी कि डा. यादव के आधी आबादी से जुड़े ऐसे फैसले एक पूरे विश्वास को भी आकर देते दिखते हैं। वह यह कि इन कदमों से यह सन्देश और संकेत भी जाता है कि सरकार लाड़ली बहना योजना की राशि को तीन हजार रुपए प्रतिमाह करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। आखिर मामला स्त्री शक्ति को और शक्ति देकर खुद के लिए सियासी शक्ति के संचय में वृद्धि करने की कोशिश का जो ठहरा। शिवराज से लेकर डा. मोहन यादव तक को देखते हुए इस दिशा में एक और बात कही जा सकती है। वह यह कि आखिरकार काम बोलता है।

उत्तरप्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा ने उत्तरप्रदेश में श लड़की हूं, लड़ सकती हूंय का नारा दिया। मध्यप्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी की ऐसे कोशिशों का पहले ही जिक्र किया जा चुका है। लेकिन दोनों ही राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस के पंजे से यह मुद्दे छीन लिए। दोनों ही जगह कांग्रेस की इन कोशिशों से पहले भाजपा की सरकारें असरकारी तरीके से यह जता चुकी थीं कि वे इस दिशा में अपने किए और कहे के बीच अधिक अंतर की गुंजाइश नहीं रखती हैं। अब यही काम डा. मोहन यादव कर रहे हैं और उसके चलते ही यह कहा जा सकता है कि वह अपनी पार्टी की नीति को एक सिरे से पकड़कर उसे नए सिरे से उल्लेखनीय रूप देने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं।

बदला है भारतीय न्यायपालिका का नजरिया?

सत्येन्द्र रंजन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 का मकसद जम्मू–कश्मीर का शेष भारत के साथ एकीकरण था। तब यह प्रश्न उठेगा कि अगर अनुच्छेद 370 का यह उद्देश्य था, तो फिर अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं ए लेकर जे तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई रूपों में असहज करने वाला है। उनमें पहला मुद्दा अनुच्छेद 370 के बारे में कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं। मसलन, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा,

'अनुच्छेद 370 का मकसद जम्मू–कश्मीर का क्रमिक रूप से शेष भारत के साथ एकीकरण था।'यह अनुच्छेद सिर्फ एक अस्थायी प्रावधान था (यानी इसे खत्म होना ही था)।'राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 (3) के तहत वह प्राप्त अधिकार था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे अनुच्छेद 370 का अस्तित्व खत्म करने की अधिसूचना जारी सकते थे।'जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा के भंग हो जाने के बावजूद अनुच्छेद 370 को निरस्त कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति बनी रही।ये टिप्पणियां इसलिए असहज करने वाली हैं, क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भ की आम समझ यही है कि जम्मू–कश्मीर कुछ खास शर्तों के साथ भारत में शामिल हुआ था। इन शर्तों के तहत उसने अपने कुछ अधिकार केंद्र को सौंपे, जबकि आंतरिक स्वायत्तता संबंधी ज्यादातर अधिकार उसने अपने पास रखे। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। इसके तहत भारतीय राज्य ने जम्मू–कश्मीर के लोगों को उनकी स्वायत्तता की रक्षा का वचन दिया था। इस वचन की रक्षा भारतीय राज्य–व्यवस्था का ऐतिहासिक दायित्व था।

आम समझ है कि संविधान में इस अनुच्छेद को शामिल करते समय इसे अस्थायी प्रावधान सिर्फ इस अर्थ में कहा गया था कि जब तक जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती, वहां का प्रशासन और भारतीय संघ से उसका रिश्ता अनुच्छेद 370 के आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन अब कोर्ट ने इसे इस रूप में अस्थायी बताया है कि इसका मकसद जम्मू–कश्मीर का एकीकरण था। स्पष्टतरू कोर्ट ने इस पहलू को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा है।जब कोर्ट ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपना लिया, तो उसका इस निष्कर्ष पर पहुंचना लाजिमी था कि जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा की बिना सहमति के भी अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जा सकता था।मगर यहां विडंबना यह है कि इसके लिए अपनाए गए माध्यम को खुद कोर्ट ने समस्याग्रस्त माना है। अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 367 में सुधार किया गया। इसके लिए संवैधानिक आदेश 272 जारी किया गया। कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक बताया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की यह राय है कि किसी दूसरे अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए किसी अन्य अनुच्छेद में बदलाव संविधान के अनुरूप नहीं है। यानी सरकार को जिस अनुच्छेद में संशोधन करना हो, उसे प्रत्यक्ष रूप से उसके लिए ही कदम उठाने चाहिए, ऐसा बैकडोर से नहीं करना चाहिए।मुद्दा यह है कि अगर वह आदेश असंवैधानिक था, तो उसके परिणामस्वरूप उठाया गया कदम संवैधानिक कैसे हो सकता है?सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 का मकसद जम्मू–कश्मीर का शेष भारत के साथ एकीकरण था। तब यह प्रश्न उठेगा कि अगर अनुच्छेद 370 का यह उद्देश्य था, तो फिर अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं ए लेकर जे तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहते हुए भी इसके जरिए जम्मू–कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार क्रमिक रूप से केंद्र ने हासिल कर लिए थे। बल्कि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरे दशकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हद तक क्षरण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू–कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहां के बाशिंदों के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बनी हुई थी।वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक नजरिए से देखें, तो (इस पार्टी के पूर्व संस्करण भारतीय जन संघ की स्थापना के समय से ही) यह अनुच्छेद हमेशा ही एक राजनीतिक मसला था, जिसे भारतीय राज्य अपनी शक्ति के इस्तेमाल से हल कर सकता था। भाजपा नेता हमेशा यह कहते थे कि कांग्रेस नेतृत्व की ष्कमजोरीष या उसकी ष्वोट बैंक की सियासतष के कारण यह अनुच्छेद संविधान का हिस्सा बना रहा। उनका हमेशा से वादा था कि जब कभी वे सत्ता में आएंगे, वे इस अनुच्छेद को खत्म कर देंगे। इसलिए भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया, तो यह उनकी घोषणाओं के अनुरूप ही था।भाजपा और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श पर गौर करें, तो यह साफ हो जाता है कि इस अनुच्छेद से उनके विरोध का एक प्रमुख कारण जम्मू–कश्मीर का मुस्लिम बहुल राज्य होना रहा है। दूसरी बात यह रही है कि आरएसएस की विचारधारा भारत के संघीय स्वरूप के साथ सहज कभी नहीं रही। भारत को एकात्मक व्यवस्था का रूप देना उसकी सोच का अभिन्न अंग रहा है। इसलिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ वर्तमान भाजपा सरकार ने जम्मू–कश्मीर का दर्जा गिरा कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और इस प्रदेश को एकतरफा ढंग से दो भागों (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया, तो इसमें उसे कोई वैचारिक या नैतिक अवरोध नजर नहीं आया।मगर अब हमारे सामने हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन दोनों ही बातों को स्वीकृति दे दी है। कोर्ट के सामने एक बड़ा मुद्दा यह था कि क्या भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है? विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को उसकी सहमति से विभाजित किया जा सकता है, उसके किसी एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, लेकिन पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। आखिर सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े सवाल को अनसुलझा कैसे छोड़ सकता था?इस मुद्दे पर उसने निर्णय देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान उसे आश्वासन दिया गया कि जम्मू–कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। क्या इसे कोर्ट का विचित्र रुख नहीं कहा जाएगा? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को उठाए गए संसद के कदम (यानी राज्य का दर्जा गिराने) की संवैधानिकता पर देना था। इस पर नहीं कि भविष्य में क्या होगा। स्पष्टतरू इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है।

इसका अर्थ यह है कि भविष्य में कभी कोई सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर उसी प्रक्रिया से किसी राज्य को विभाजित कर सकती है या उसका दर्जा गिरा सकती है, जैसाकि जम्मू–कश्मीर के मामले में किया गया। मतलब यह कि अब पूरी संघीय व्यवस्था केंद्र की मर्जी पर निर्भर हो गई है।1990 के दशक में एसआर बोम्मई मामले में आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित किया था। केशवानंद भारती से लेकर नौवीं अनुसूची की वैधता से संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी माना था। तो यह प्रश्न उठा है कि जम्मू–कश्मीर का दर्जा गिराने के बारे में दो टूक निर्णय ना देना क्या सुप्रीम कोर्ट का अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोडना नहीं है?

ये सारे संवैधानिक सवाल हैं। ये गंभीर प्रश्न हैं। इसलिए कि भारतीय संविधान की जो विचारधारा है और उसका जो बुनियादी ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय उनके अनुरूप मालूम नहीं पड़ता। इसके विपरीत यह निर्णय आरएसएस–भाजपा की विचारधारा पर मुहर लगाता मालूम पड़ता है, जबकि इस विचारधारा के भारतीय संविधान की विचारधारा से बुनियादी मतभेद रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय आम तजुर्बा है कि न्यायपालिका अक्सर हावी राजनीतिक विचारधारा और वर्तमान सत्ताधारी के हितों से प्रभावित एवं प्रेरित होती है। जब कभी किसी मामले में संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों का उस विचारधारा या हितों से टकराव होता है, तो उनके अनुरूप निर्णय देने के लिए न्यायपालिकाएं विचित्र किस्म के सिद्धांत अपनाती रही हैं। मसलन, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां हुए सैनिक तख्ता पलट को वैध ठहराने के लिए जरूरत के सिद्धांत का सहारा लिया था। वैसे इस सिद्धांत का इतिहास काफी पुराना है और इसका उपयोग अनेक मामलों में किया गया है।

इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए 13वीं सदी के ब्रिटिश न्यायविद हेनरी डी ब्रेक्टॉन ने कहा था कि श्जो कानूनी नहीं है, उसे जरूरत के मुताबिक कानूनी बना दिया जाता है।य साल 1672 में एक मामले में कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जरूरत के लिए अपनाया गया कानून उस रूप में विवाद का निपटारा करता है, जो सामान्य स्थितियों में वैध नहीं है। भारत में यह कहा नहीं गया है, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने राजनीतिक और वैचारिक पहलू वाले मामलों में जैसा रुख अपनाया है, जैसी टिप्पणियां की हैं, और जिस तरह के निर्णय दिए हैं, उनसे अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या अपने देश में भी आवश्यकता का सिद्धांत को अपना लिया है? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं या जैसी न्यायिक टिप्पणियां की जा रही हैं, वैसा भारतीय संविधान की मूलभूत भावना के अनुरूप करना संभव या तार्किक नहीं है?

यह गौरतलब है कि इमरजेंसी (1975–77) के दौरान न्यायपालिका ने कई विवादास्पद फैसले दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान उसके फैसले नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सहायक बने थे। तब संभवतरू मामला तत्कालीन सरकार से टकराव लेने में अनिच्छा का था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भारतीय राज्य व्यवस्था के वैचारिक रुझान में आए बदलाव को स्वीकार कर रही है। पिछले पांच वर्षों में कई संवैधानिक और नागरिकों के मूल अधिकार संबंधी मामलों में कोर्ट के दृष्टिकोण इस धारणा को मजबूत करते चले गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय राजसत्ता जो स्वरूप ग्रहण कर रही है, उसके बीच उसकी न्याय भावना (द्बस्रद्गड्ड शद्घ द्भह्वह्यह्लद्बष्द्ग) में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। यह न्याय भावना व्यक्तिगत अधिकार, सांस्कृतिक बहुलता, कानून के समक्ष सबकी बराबरी और समता जैसे उसूलों से प्रेरित नहीं है। इसके विपरीत यह आर्थिक–सामाजिक वर्चस्व, सत्ता के समक्ष व्यक्तिगत कर्त्तव्य, और सामाजिक–सांस्कृतिक श्रेणी–क्रम पर आधारित है। प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका भी धीरे–धीरे राजसत्ता के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करती जा रही है?

उससे बड़ा सवाल है कि अगर व्यवहार में ऐसा होगा, तो क्या उस स्थिति में भी यह मानने का कोई आधार पर बचेगा कि भारत 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान से चल रहा है? गौरतलब यह है कि वह संविधान एक सामाजिक समझौता है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुए उसूलों की झलक थी। इस दस्तावेज के जरिए उन उसूलों का भारतीय समाज की तत्कालीन वर्गीय संचरना से तालमेल बैठाया गया था। तब वादा यह किया गया था कि यह संविधान सबको साथ लेते हुए और सबकी सहमति से तत्कालीन वर्गीय व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह परिवर्तन न्याय एवं समता की दिशा में होना था।मगर 1990 का दशक आते–आते ये सारी दिशाएं बदलने लगी थीं। अब विचारणीय यह है कि क्या यह दिशा संविधान की मूलभूत भावना के विपरीत किसी ठोस मुकाम पर पहुंच चुकी है? क्या यह वो मुकाम है, जहां कानून और न्याय की व्याख्याएं मौजूदा सत्ताधारी दल की विचारधारा के मुताबिक की जानी लगी हैं?

थूलगुला में आयोजित चौपाल में सीडीओ ने सुनी समस्याएं

सिराथू, कौशाम्बी। विकास खंड कड़ा के थूलगुला ग्राम पंचायत में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव ने शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास , पेंशन सहित तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए चौपाल में मौजूद लोगो की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी कड़ा संजय कुमार गुप्ता ने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना , पारिवारिक लाभ योजना , निराश्रित महिला पेंशन , सहित विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। एपीओ मनरेगा कड़ा अशोक कुमार ने मनरेगा से संबंधित जानकारी दी। पशुचिकित्साधिकारी कड़ा डा अनिल सिंह ने पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताये गये तथा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी । पूर्ति निरीक्षक कड़ा हरिश्चंद्र दूबे ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी । चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित गोद–भराई व दो बच्चों का अन्नप्रसन्न किया। चौपाल में खंड विकास अधिकारी संजय कुमार गुप्ता , एडीओ कॉपरेटिव अनिल मिश्रा भी, एपीओ मनरेगा अशोक कुमार , सीडीपीओ मनोज वर्मा , मुख्य सेविका ज्ञानमती , पूर्ति निरीक्षक हरिश्चंद्र दूबे , ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लवलेश कुमार रहे।

कृशि निवेष विक्रेता प्रतिष्ठानों को नियमित रवोलें

कृषकों को सुगमता पूर्वक गुणवत्तायुक्त निर्धारित दर पर उर्वरकों का वितरण करें–जिला कृषि अधिकारी

प्रतापगढ़। जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने जनपद के समस्त उर्वरक/बीज एवं कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वर्तमान रबी में जनपद के कृषकों द्वारा बुवाई का कार्य किया जा रहा है अगले माह यानि नवम्बर माह से गेंहू की बुवाई भी प्रारम्भ हो जायेगी कृषकों को सुगमता पूर्वक गुणवत्ता युक्त निर्धारित दर पर उर्वरकों का वितरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होने सभी कृषि निवेश विक्रेताओं को निर्देशित किया कि अपनी विक्रय प्रतिष्ठान को नियमित रूप से खुला रखे, प्रतिष्ठान पर फर्म का बोर्ड, रेट बोर्ड जिस पर प्रति दिन का स्टॉक दर सहित अंकित करें, जो प्रतिष्ठान पर प्रर्दशित होता रहे स्टॉक का रख रखाव स्टॉक पंजिका एवं वितरण पंजिका में अवश्य रखा जाय, साथ ही कृषकों को पी०ओ०एस० मशीन से प्राप्त कैश मेमो अवश्य उपलब्ध कराया जाय। जिला कृषि अधिकारी द्वारा तहसीलवार उर्वरक निरीक्षकों की तैनाती की गयी है जो प्रतिदिन अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। निरीक्षण के समय यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर उक्त से सम्बन्धित अनियमितताएं पायी जाती है तो संबंधित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985, बीज नियन्त्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई विक्रेता, बगैर निबन्धन प्राधिकार पत्र के व्यवसाय करता पाया जायेगा तो प्रतिष्ठान को तत्काल सील कर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करा दी जायेगी।

कार्यालय कर विभाग जोन-4 अल्लापुर, नगर निगम, प्रयागराज

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा निम्नलिखित भवन संख्या के स्वामियों, क्रेतागणों, वारिसानों तथा अन्य सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि निम्न भवनों के नाम की परिवर्तन की कार्यवाही कर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जोन-4 अल्लापुर में विचाराधीन है। सम्बन्धित पक्षों को धारा 213 की नोटिस जारी की जा चुकी है। आपत्तिकर्ता सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों सहित विज्ञापन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय अल्लापुर में आपत्ति दाखिल कर दे, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी।

क्र.सं.	नम्बर मोहल्ला	भवन स्वामी का नाम	जिसके पक्ष में नाम परिवर्तन होना है	नामान्तरण का आधार
1	भवन संख्या-929/190ए, सोहबतिया बाग	श्री सूर्य नारायण तिवारी पुत्र स्व० रामहर्ष तिवारी	पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती रुचि तिवारी पत्नी श्री राजेश तिवारी व श्री विभव तिवारी पुत्र राजेश तिवारी उर्फ पप्पू व विराट तिवारी उर्फ बमबम पुत्र श्री राजेश तिवारी उर्फ पप्पू द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती रुचि तिवारी का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत वसीयतनामा
2	भवन संख्या-111/40, मधवापुर	श्रीमती, छाया पाण्डेय पत्नी श्री शिव मूर्ति पाण्डेय,	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती नील प्रभा पाण्डेय पत्नी श्री सूर्य नारायण पाण्डेय का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
3	भवन संख्या-105/25/40, टैगोर टाउन	श्री जवाहर लाल अग्रवाल पुत्र श्याम लाल अग्रवाल,	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा अग्रवाल पत्नी श्री सुमित त्रिपाठी पुत्री श्री जवाहर लाल अग्रवाल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
4	भवन संख्या-43/27ए/1. हिमल्टन रोड	श्री सुनील सहगल पुत्र मनोहर लाल सहगल,	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्रीमती भारती सहगल पत्नी श्री सुनील सहगल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
5	भवन संख्या-616ए/23/47, अल्लापुर	श्री सुदर्शन कुमार मल्होत्रा पुत्र स्व० आज्ञा राम मल्होत्रा व श्री दुर्गेश कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री सुदर्शन कुमार मल्होत्रा,	दर्ज सहस्वामी श्री सुदर्शन कुमार मल्होत्रा पुत्र स्व० आज्ञा राम मल्होत्रा का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर वरासत के आधार पर शेष दर्ज नाम श्री दुर्गेश कुमार मल्होत्रा पुत्र स्व० सुदर्शन कुमार मल्होत्रा का नाम यथावत रहेगा।	वरासत
6	भवन संख्या-200/28सी/6, अल्लापुर	श्रीमती, दीपाली चकवर्ती पत्नी श्री सुशील कुमार चक्रवर्ती	वरासत के आधार पर श्री सुदीप चक्रवर्ती व श्री अशुमान चक्रवर्ती पुत्रगण स्व० सुशील कुमार चक्रवर्ती का नाम दर्ज होगा।	वरासत
7	भवन संख्या-387/337, मधवापुर	श्रीमती, शारदा सिंह पत्नी स्व० विजय कुमार सिंह	पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री शिव प्रसाद श्रीवास्तव का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
8	भवन संख्या-167/2ए, आजाद स्क्वायर	श्रीमती, राजकुमारी साहू पत्नी श्री दशरथ लाल साहू	वरासत के आधार पर श्री सुनील कुमार साहू व श्री सुशील कुमार साहू पुत्रगण स्व० दशरथ लाल साहू का नाम दर्ज होगा।	वरासत
9	भवन संख्या-14/16/3, गलाकराज	श्री हरी लाल यादव पुत्र स्व० श्याम लाल यादव	वरासत के आधार पर श्रीमती शान्ती (शान्ति) पत्नी स्व० हरी लाल यादव का नाम दर्ज होगा।	वरासत
10	भवन संख्या-323/258, पुराना वैरहना	श्री मोतीलाल अवयस्क पुत्र श्री भैरो प्रसाद संरक्षक श्रीमती भगनानी (माता),	वरासत के आधार पर श्री सत्येन्द्र कुमार जायसवाल व श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल व श्री शैलेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्रगण स्व० मोतीलाल का नाम दर्ज होगा।	वरासत
11	भवन संख्या- 7/1. ई०डब्लू०एस०, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम	श्री फूलचन्द्र दूबे पुत्र श्री भगवती प्रसाद दूबे	वरासत के आधार पर श्रीमती निर्मला दुबे पत्नी स्व० फूलचन्द्र दुबे व श्री दुर्गेश दुबे व श्री कमलेश दुबे व श्री रत्नेश दुबे पुत्रगण स्व० फूलचन्द्र दूबे का नाम दर्ज होगा।	वरासत
12	भवन संख्या-43टी, लिडिल रोड	श्रीमती, सुमन सिंह पत्नी श्री जवाहर लाल सिंह उर्फ जवाहर लाल शर्मा व श्री जवाहर लाल सिंह उर्फ जवाहर लाल शर्मा पुत्र स्व० उमाशंकर सिंह	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती कुसुम कुमारी पत्नी शिव दर्शन लाल अग्रवाल व श्री शिव दर्शन लाल अग्रवाल पुत्र स्व० बनवारी लाल अग्रवाल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
13	भवन संख्या-460/367, खलासी लाइन	श्रीमती, वन्दना वर्मा पत्नी श्री योगेश वर्मा व योगेश वर्मा पुत्र श्री पन्ना लाल अशान एडवोकेट,	पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा राधेश्याम तिवारी पत्नी श्री प्रवीण तिवारी का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
14	भवन संख्या-305ए, दारागंज	श्री राम सेवक उर्फ पलट पुत्र श्री किशोरी लाल (आकोपायर),	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नाम के साथ-साथ श्रीमती रीतू यादव पत्नी श्री संजय यादव का नाम दर्ज होगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
15	भवन संख्या-95/25/30, टैगोर टाउन	श्रीमती, सत्या सिंह पत्नी स्व० जगदीश नरायन सिंह व विनय कुमार सिंह पुत्र स्व० जगदीश नरायन सिंह,	वरासत के आधार पर श्री प्रतीक सिंह पुत्र स्व० विनय कुमार सिंह का नाम दर्ज होगा।	वरासत
16	भवन संख्या-2/2/प्लेट नं0-603/प्लोर-6/ब्लाक - ए. अमरनाथ झा मार्ग (सिद्धेश्वरी अपार्टमेन्ट)	श्रीमती, ललिता शर्मा पत्नी श्री प्रकाश शर्मा	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्री संजय शर्मा व श्री धंनजय शर्मा पुत्रगण स्व० श्री प्रकाश शर्मा का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
17	भवन संख्या-322/41, बाई का बाग	श्रीमती, फूला यादव पत्नी अशोक कुमार यादव	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री अमित जायसवाल पुत्र श्री राम सजीवन व श्री राजीव जायसवाल पुत्र श्री राम सजीवन जायसवाल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
18	भवन संख्या-18ए/60, लाउदर रोड	श्रीमती, कविता सिंह पत्नी श्री कृष्ण लाल सिंह	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री संतोष गोस्वामी व श्रीमती शालिनी गोस्वामी पत्नी श्री अभय गोस्वामी पुत्री संतोष शर्मा का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
19	भवन संख्या-516/408/12सी, बक्शी खुर्द	श्री राकेश चन्द्र पुत्र स्व० सीताराम	पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व० रामबाबू का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
20	भवन संख्या-727/95/135, पूरा दलेल	श्री बेनी माधो पुत्र श्री सूरज दीन कुशवाहा	वरासत के आधार पर श्री राजेश कुमार कुशवाहा पुत्र स्व० बेनी माधव का नाम दर्ज होगा।	वरासत
21	गवन संख्या-204/91/11, अलोपीबाग	श्रीमती, माला सक्सेना पत्नी श्री विश्व मोहन	पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्रीमती अंकिता गर्ग पत्नी श्री आशीष कुमार अग्रवाल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
22	भवन संख्या-36/22/फ्लैट नं0-108/ प्लोर 01/ ब्लाक-ए, अमरनाथ झा मार्ग	श्री दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह,	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्री सूरज कुमार सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
23	भवन संख्या-76बी/1/95/2, पूरा वल्दी	श्रीमती, सुषमा जायसवाल पत्नी स्व० देवेन्द्र कुमार जायसवाल	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सरिता यादव पत्नी श्री विभव बहादुर सिंह का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
24	भवन संख्या-840/1ए/3, बाघम्बरी गद्दी	श्री राजपति सिंह पुत्र श्री राम सकल सिंह	वरासत के आधार पर श्री सच्चिदानन्द सिंह पुत्र स्व० राजपति सिंह का नाम दर्ज होगा।	वरासत
25	भवन संख्या-201/233, खलासी लाईन	श्री वाजिद खॉ पुत्र स्व० अब्दुल गनी	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर दर्ज नाम के साथ-साथ श्रीमती नरगिस पत्नी श्री अब्दुल नसीम पुत्री स्व० अब्दुल गनी का नाम दर्ज होगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
26	भवन संख्या-258सी/4, सोहबतिया बाग	श्रीमती, नन्दगती देवी पत्नी श्री आर० जे० मिश्रा	वरासत के आधार पर श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री विजय प्रकाश व श्रीमती साधना मिश्रा पुत्रीगण स्व० राम जनम मिश्रा का नाम दर्ज होगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	वरासत
27	भवन संख्या-528/2/23, अल्लापुर	श्री पूर्णेन्दु शेखर मुखर्जी पुत्र स्व० के० वी० मुखर्जी	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री अरूण कुमार पुत्र श्री गोपाल प्रसाद व श्रीमती अंजुला गुप्ता पत्नी श्री अरूण कुमार व श्री रोहित कुमार पुत्र श्री हरिशचन्द्र केसरवानी व श्रीमती पूजा ठाकुर पत्नी श्री रोहित कुमार का नाम दर्ज होगा	पंजीकृत विकय पत्र
28	भवन संख्या-445/254एफ, बाघम्बरी गृह आवास योजना	श्री संजय गोविल व श्री अजय गोविल पुत्रगण स्व० लक्ष्मी नारायण गोविल,	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री बब्बन सिंह का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
29	भवन संख्या-90ए/17एन/1, बाघम्बरी गद्दी	श्री राम औतार सिंह पुत्र स्व० रघुनाथ सिंह	पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर श्री विकम सिंह पुत्र स्व० राम औतार सिंह का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत वसीयतनामा
30	भवन संख्या-25ए/एस० एफ०-02/17ए/1, टैगोर टाउन			
31	भवन संख्या-1482/23/47/25/3, अल्लापुर	श्रीमती, शीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० रवि प्रकाश श्रीवास्तव व श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव व डॉ० रजनीश कुमार पुत्रगण स्व० रवि प्रकाश श्रीवास्तव	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वाती सिंह पुत्री श्री बी० के० सिंह का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
32	भवन संख्या-18एल, बाघम्बरी गद्दी	श्रीमती, इन्दू देवी पत्नी श्री राम	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर दर्ज नाम के साथ-साथ इशिका श्रृंगार पत्री स्व० राम श्रृंगार का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
33	भवन संख्या-624/426ए/4डी, बक्शी खुर्द	श्रीमती, शान्ती देवी पत्नी श्री रामनाथ यादव व श्री सुरेश यादव व श्री बृजेश यादव व श्री दिनेश यादव पुत्रगण स्व० रामनाथ यादव	दर्ज सहस्वामी श्री दिनेश यादव पुत्र स्व० रामनाथ यादव का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्री मुकेश कुमार सिंह पुत्र श्री हवलदार सिंह व श्री राजेश तिवारी पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
34	भवन संख्या-178/91ए, बाघम्बरी गृह योजना आवास	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री गिरीश चन्द्र मिश्रा	वरासत के आधार पर श्री संजय कुमार मिश्रा व श्री संदीप कुमार मिश्रा पुत्रगण स्व० रमेश चन्द्र मिश्रा का नाम दर्ज होगा।	वरासत
35	भवन संख्या-1249/23/47/82जी, अल्लापुर	श्री बाल कृष्ण ओझा पुत्र स्व० श्याम बिहारी ओझा व अनिल कुमार ओझा व श्री रत्नेश कुमार ओझा व देवेन्द्र कुमार ओझा पुत्रगण श्री बाल कृष्ण ओझा	दर्ज सहस्वामी श्री बाल कृष्ण ओझा पुत्र स्व० श्याम बिहारी ओझा व अनिल कुमार ओझा व श्री रत्नेश कुमार ओझा पुत्रगण श्री बाल कृष्ण ओझा का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर मा० न्यायालय के आदेश व पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर शेष दर्जनाम श्री देवेन्द्र कुमार ओझा पुत्र श्री बाल कृष्ण ओझा का नाम यथावत रहेगा।	मा० न्यायालय व पंजीकृत दान-पत्र
36	भवन संख्या-354/187, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम	श्री जयराम पुत्र श्री रामनाथ	वरासत के आधार पर श्री शेखर शरण व श्री राजीव रंजन व श्री राजेश रंजन पुत्रगण स्व० जयराम व श्रीमती सविता शरण पुत्री स्व० जयराम का नाम दर्ज होगा।	वरासत
37	भवन संख्या-41बी, टैगोर टाउन	श्रीमती, सरोज श्रीवास्तव पत्नी स्व० जगदीश शरण श्रीवास्तव व श्री मनोज श्रीवास्तव व श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव पुत्रगण स्व० जगदीश शरण श्रीवास्तव	दर्ज सहस्वामिनी श्रीमती सरोज श्रीवास्तव पत्नी स्व० जगदीश शरण श्रीवास्तव का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर वरासत के आधार पर दर्ज नाम श्री मनोज श्रीवास्तव व श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव पुत्रगण स्व० जगदीश शरण श्रीवास्तव का नाम यथावत दर्ज रहेगा।	वरासत
38	भवन संख्या-360/292,बैरहना	श्री सरजू लाल प्रजापति पुत्र स्व० राम चरन	वरासत के आधार पर श्री अजय कुमार प्रजापति पुत्र स्व० सरजू लाल प्रजापति का नाम दर्ज होगा।	वरासत
39	भवन संख्या-733/441 एफ, बक्शी खुर्द	श्री शेर बहादुर सिंह पुत्र श्री अम्बिका सिंह	पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्री विनय कुमार पटेल पुत्र राजपति पटेल व श्रीमती सविता पटेल पत्नी श्री विनय कुमार पटेल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
40	भवन संख्या-78/97/1, मलाकराज	श्री त्रिभुवन सिंह पुत्र श्री बेनी बहादुर सिंह, श्रीमती प्रेमा सिंह पत्नी त्रिभुवन सिंह	दर्ज सहस्वामी श्री त्रिभुवन सिंह पुत्र श्री बेनी बहादुर सिंह का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्री अजीत प्रताप सिंह पुत्र श्री त्रिभुवन सिंह का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
41	भवन संख्या-126/4.	श्री पियूष कुमार राय व श्री प्रफुल्ल चन्द्र राय पुत्रगण स्व० प्रदुम राय,	दर्ज सहस्वामी श्री पियूष कुमार राय पुत्र स्व० प्रदुम राय का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्रीमती अर्चना राय पत्नी श्री पियूष राय का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
42	भवन संख्या-119बी/257, बाई का बाग	श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधा शरण अग्रवाल	पंजीकृत वसीयत के आधार पर श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्व० सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल व श्रीमती ममता मैतिन पत्नी अजय मैतिन व श्रीमती मंजुल अग्रवाल पत्नी डा० प्रदीप अग्रवाल पुत्रीगण स्व० सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत वसीयत
43	भवन संख्या-96ए/6. ओल्ड लश्कर लाइन	श्रीमती, मैना देवी पत्नी श्री जैन कुमार व श्रीमती अनूपा देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार,	दर्ज सहस्वामिनी श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री जैन कुमार का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत वसीयत के आधार पर श्री प्रांजल जैन व श्री पलक्ष जैन पुत्रगण श्री सुरेन्द्र कुमार जैन का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा।	पंजीकृत वसीयत
44	भवन संख्या-84एफ/11/3एफ, पूरा दलेल	श्री सदाशिव गुप्ता पुत्र स्व० छेदी लाल गुप्ता,	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पूजा पाण्डेय पुत्री श्री सूरज मणी पाण्डेय का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
45	भवन संख्या-223/87ए, टैगोर टाउन	श्रीमती, किरन यादव पत्नी श्री सुरेश चन्द्र यादव व सुरेश चन्द्र यादव पुत्र धनराज यादव	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रियंका सिंह पुत्री श्री राजकुमार सिंह पत्नी सुनील कुमार सिंह व श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री विधि नारायण सिंह का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
46	भवन संख्या-81/5के, बाघम्बरी गद्दी	श्री नवल सिंह व मान सिंह पुत्रगण श्री पृथ्वी सिंह	दर्ज सहस्वामी श्री नवल सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर वरासत के आधार पर श्री धीरेन्द्र सिंह व श्री जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० नवल सिंह का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाग यथावत दर्ज रहेगा।	वरासत
47	भवन संख्या-14/10, सर पी०सी० बनर्जी रोड	श्रीमती, संतोष निरुल्ला पत्नी स्व० त्रिलोकी नाथ निरुल्ला	दर्ज नाम के साथ-साथ पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री अमित खन्ना पुत्र श्री अमर नारायण खन्ना व श्रीगती मनीषा खन्ना पत्नी श्री अमित खन्ना का नाम दर्ज होगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
48	भवन संख्या-233/181ए/2, बक्शी कला	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दान बहादुर सिंह	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर दर्ज नाम के साथ-साथ श्रीमती अनामिका सिंह पुत्री श्री महेन्द्र सिंह पत्नी श्री सतजंय सिंह का नाम दर्ज होगा तथा भवन का विभाजन भी होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
49	भवन संख्या-1690बी/101, अल्लापुर	श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र स्व० ननकू दास	पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर प्रगति रावत पुत्री स्व० लक्ष्मण कुमार रावत का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विकय पत्र
50	भवन संख्या-167/331, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० जुगुल किशोर सिंह	वरासत के आधार पर श्रीमती पुष्पा देवी व श्री सुधांशु सिंह, श्री शुभांशु सिंह व श्री हिमांशु सिंह पत्नी व पुत्रगण स्व० शैलेन्द्र सिंह का नाम दर्ज होगा।	वरासत
51	भवन , संख्या-07/02ई/02 लाला राम नारायण लाल रोड	श्रीमती मीना देवी व श्रीमती बीना देवी पुत्रीगण स्व० रामनाथ उर्फ रामा यादव	दर्ज सहस्वामिनी श्रीमती बीना देवी पुत्री स्व० रामनाथ उर्फ रामा यादव का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जंग बहादुर यादव का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र
52	भवन संख्या-280एच/1/टी०एफ०-3, अल्लापुर	श्रीमती, आरती पाण्डेय पत्नी श्री अनिल कुमार पाण्डेय,	वरासत के आधार पर श्री अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राम पुजारी पाण्डेय का नाम दर्ज होगा।	वरासत
53	भवन संख्या-178/48, ओल्ड लश्कर लाइन	श्री केदारनाथ विश्वकर्मा पुत्र स्व० हीरा लाल	दर्ज नाम के साथ-साथ वरासत के आधार पर श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा व श्रीमती नन्दनी व श्रीमती अंजली व श्रीमती वन्दना पुत्रीगण स्व० राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा का नाम दर्ज होगा।	वरासत
54	भवन संख्या-10/13, फतेहपुर बिछुआ	श्री प्रमोद कुमार व ओम प्रकाश पुत्रगण स्व० मंगल लाल	दर्ज सहस्वामिनी श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व० मंगल लाल का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर वरासत के आधार पर श्रीमती रीता पत्नी स्व० प्रमोद कुमार का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा।	वरासत
55	भवन संख्या-70/7ए, सी०वाई० चिन्तामणि रोड	श्री कृष्णाकान्त मिश्रा पुत्र स्व० राज नारायण मिश्रा व श्रीमती कंचन मिश्रा पत्नी श्री श्रीप्रकाश मिश्रा	दर्ज सहस्वामी श्री कृष्णाकान्त मिश्रा पुत्र स्व० राज नारायण मिश्रा का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्री ईशान मिश्रा पुत्र श्री श्रीप्रकाश मिश्रा का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा।	पंजीकृत दान-पत्र
56	भवन संख्या-771, अल्लापुर	श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता पुत्रगण स्व० अनन्त नारायण गुप्ता	पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा केसरवानी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश केसरवानी का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत दान-पत्र
57	भवन संख्या-36ए, लाउदर रोड	श्री रमेश चन्द्र अरोरा पुत्र स्व० दर्शन लाल अरोरा व श्रीमती श्वेता अरोरा पत्नी श्री रवी चावला व श्रीमती कविता धीमान पत्नी श्री पंकज कुमार धीमान पुत्रीगण श्री रमेश चन्द्र अरोरा,	दर्ज सहस्वामिनी श्रीमती श्वेता अरोरा पत्नी श्री रवी चावला व श्रीमती कविता धीमान पत्नी श्री पंकज कुमार धीमान पुत्रीगण श्री रमेश चन्द्र अरोरा का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत दान-पत्र के आधार पर दर्ज नाम श्री रमेश चन्द्र अरोरा पुत्र स्व० दर्शन लाल अरोरा का नाम यथावत दर्ज रहेगा।	पंजीकृत दान-पत्र
58	भवन संख्या-175/127, आजाद स्क्वायर	श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जुगुल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल व श्रीमती अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल व श्री रवी गोयल पुत्र श्री रमेश चन्द्र गोयल	दर्ज सहस्वामी श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जुगुल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल का नाम खारिज होगा तथा उनके नाम के स्थान पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री रवि गोयल पुत्र श्री रमेश चन्द्र गोयल का नाम दर्ज होगा तथा शेषनाम यथावत दर्ज रहेगा।	पंजीकृत विकय पत्र
59	भवन संख्या-13ए/ | 8बी/2, हासिमपुर रोड	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह व श्री परमजीत सिंह पुत्र सरदार बलवन्त सिंह,	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री विनय जायसवाल पुत्र स्व० गिरीश चन्द्र जायसवाल का नाम दर्ज होगा।	पंजीकृत विक्रय पत्र

पत्रांक : 3268-सं0डी0/ज0सर्म्प0अधि0/2024
दिनांक : 26.10.2024

जोनल अधिकारी
जोन-04, अल्लापुर, नगर निगम, प्रयागराज

सत्यनिष्ठा की शपथ

प्रयागराज। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक

करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय पर सतर्कता जागरूकता के क्षेत्रीय कार्यालय में सत्यनिष्ठा की शपथ ली। राम मूरत, बालमुकुन्द सिंह, सुनील कुमार, हरीलाल तथा कृष्णा मैजिक वर्ल्ड के आलोक कुमार यादव, गर्विता यादव व ने.यु.के. के राजन उपस्थित रहे।

आर आर पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं ने लगाई विज्ञान प्रदर्शनी

मऊआइमा।आर आर पब्लिक स्कूल गमरहटा म ऊआइमा प्रयागराज में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक चंद्रजीत यादव व विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजली सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया।आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र–छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्षेत्र के सम्मानित अभिवावकों ने प्रदर्शनी को देख कर बच्चों के मॉडल को देख कर खूब सराहना की ।इस प्रदर्शनी में कक्षा एक से आठ तक छात्र–छात्राओं ने हिस्सा लिया छात्र–छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें अनुभव मौर्य, ने जे सी बी माशीन बनाया, राज गौतम ने सड़क सुरक्षा, अंश यादव, ने डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम की मिसाइल को बनाया, अर्पित यादव, ने सौरमंडल को बनाया, सुनैना पटेल, ने पर्यावरण सुरक्षा, करीना पटेल, ज्योति यादव, शिवानी पटेल, आदि छात्र–छात्राओं ने अलग अलग प्रदर्शन कर अपने हुनर का जलवा दिखाया। विज्ञान प्रदर्शनी को सफल बनाने में विद्यालय की शिक्षक शिवानी सिंह, संजना विश्वकर्मा, ह्रदय राम, प्रभु नाथ यादव, श्वेता सिंह, कविता सिंह, पायल आदि शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

त्यौहार पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की करें मदद

प्रयागराज। गरीबों,असहायों की सेवा, सहयोग कर चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संकल्पित शिव सेना की प्रदेश सचिव श्रीमती रुचि अभिषेक तिवारी ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे समाज के मुसहर और आदिवासी बस्तियों में अपनी टीम के साथ जाकर धन तेरस की पूर्व संध्या पर आज उपहार वितरित किया । शिव सेना की प्रदेश सचिव श्रीमती रुचि तिवारी ने शिवसेना के पदाधिकारियों के साथ आज मेजा विकास खंड के तेंदुआ कला,गेंदुरही, कोहड़ार सहित अन्य बस्तियों में जाकर दिपावली के अवसर पर मिष्ठान, फल सहित अन्य सामग्री भेंट किया। उन्होंने कहा कि मुसहर और आदिवासी बस्तियों में स्वयं जाकर लोगों की मदद कर चेहरे पर मुस्कान देखर खुशी मिलती है। कहा कि स्वयं में गौरव महसूस करती हूं जब इनकी सेवा और मदद करती हूं । उन्होंने कहा कि मेरी दीपावली तभी शुभ होगी जब मैं इनकी दीपावली हंसी, खुशी से मनवाऊंगी । शिव सेना की प्रदेश सचिव श्रीमती रूचि अभिषेक तिवारी ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को अवश्य प्रयास करना चाहिये कि ऐसे लोगों के त्यौहार खुशी से बीते न कि किसी अभाव या कमी में । इस दौरान संतोष जैन महाजन,जिला प्रमुख शिवसेना सोनू सेठ, प्रेम नाथ मिश्र, ध नमः शिवाय तिवारी, जिलाप्रमुख युवा शिवसेना शशिकांत भारतीया, रामकांत पांडेय,शिवाकांत दुबे, रोहित शुक्ला, विनय तिवारी, राजू दुबे, कुलदीप तिवारी,अनुपम पांडेय सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे ।

राजस्थानी लाल पत्थरों से सज रही नागवासुकी मंदिर

प्रयागराज, 28 अक्टूबर रू महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य रूप देने के लिए यहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी के मद्देनजर दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर पौराणिक मान्यता वाले नागवासुकी मंदिर को राजस्थानी लाल पत्थरों से सजाने संवारने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यहां सौंदर्यीकरण के काम को अंतिम रूप देने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम दिन रात काम में जुटी है। प्रदेश सरकार 4.76 करोड़ रुपए से नागवासुकी मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम करा रही है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागवासुकी मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम हर हाल में 15 दिसंबर तक पूरा कर लेने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में समुद्र मंथन करने वाले नागवासुकी के दर्शन मात्र से ही कालसर्प दोष दूर हो जाता है। इसलिए खास हैं राजस्थानी लाल पत्थर राजस्थानी लाल पत्थर अपनी खूबसूरती एवं गुणवत्ता के कारण देश–विदेश में प्रसिद्ध हैं। ये पत्थर न तो जल्दी ठंडे होते हैं और न ही गर्म। इन पर पानी गिरने के बाद और निखार आ जाता है। इस पत्थर पर नक्काशी करना आसान होता है।

उत्तर मध्य रेलवे
निविदा सूचना संः 10820242025 दिनांकः 25.10.2024
ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/प्रयागराज निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (ई-टेण्डेरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।
क्र.सं.ः 1 | ई-निविदा सूचना सं.ः 10820242025-231 | अनुमानित लागत (रू. में)ः ₹ 1,42,61,775.20
कार्य का नामः SFG में 02 नंबर 50 KLD STP का संचालन और रखरखाव, 1 नंबर मालगोदाम में ब्रू रनिंग रूम में 70 KLD STP, 01 नंबर 80 KLD STP एवं 01 नंबर केंद्रीय अस्पताल में 05 वर्षों के लिए 2OKLD ETP एवं 02 नंबर 50 KLD STP के संबंध में अन्य संबंधित कार्य सूबेदारगंज में।
अमानत राशि (रू में) : ₹ 2,21,300.00, निविदा बंद होने की तिथि : 18.11.2024 को 12.00 बजे, कार्य समापन की अवधि : 60 माह, कार्य की प्रकृति : सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट / एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट / वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग / संचालन और रखरखाव।
क्र.सं.ः 2 | ई-निविदा सूचना सं.ः 10820242025-232 | अनुमानित लागत (रू. में)ः ₹ 1,63,30,552.00
कार्य का नामः दो साल की अवधि के लिए ADEN/मुख्यालय/I और ADEN /मुख्यालय/II PRYJ के अनुभाग में आरसीसी ओवर हेड जल भंडारण टैंकों की आवधिक सफाई और कीटाणुशोधन।
अमानत राशि (रू में) : ₹ 2,31,700.00, निविदा बंद होने की तिथि : 18.11.2024 को 12.00 बजे, कार्य समापन की अवधि : 24 माह, कार्य की प्रकृति : कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य।
क्र.सं.ः 3 | ई-निविदा सूचना सं.ः 10820242025-233 | अनुमानित लागत (रू. में)ः ₹ 67,34,925.34
कार्य का नामः जीएम कार्यालय परिसर में डी-ब्लॉक में अरावली कॉन्फ्रेंस हॉल, जीएम चैंबर आदि का नवीनीकरण।
अमानत राशि (रू में) : ₹ 1,34,700.00, निविदा बंद होने की तिथि : 18.11.2024 को 12.00 बजे, कार्य समापन की अवधि : 06 माह, कार्य की प्रकृति : कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य।
नोटः- (1) पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। 1876/24(A)
North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

केपी ट्रस्ट में एतिहासिक फैसला, 100 रू के सदस्यता शुल्क पर लगी अंतिम मुहर, प्रस्ताव पास

प्रयागराज। एशिया के सबसे बडे ट्रस्ट के पी ट्रस्ट मे आम कायस्थो को 100 रू के सदस्यता के माध्यम से के पी ट्रस्ट मे भागीदारी को लेकर विगत कई माह से पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मची हुई थी एक ओर अध्यक्ष डॉ सुशील कुमार सिन्हा 100 के सदस्यता के प्रस्ताव पास कर लागू करने के निर्णय पर अडिग थे वही दूसरी ओर विपक्ष किसी भी किमत पर 100 के सदस्ता को लागू करने के पक्ष मे नही रहा विपक्ष लगातार बिरोध करता रहा जिस पर आज ट्रस्ट के आन लाइन गवर्निंग काउंसिल के जूम बैठक के साथ ही मची घमासान थम गया ।ऑन लाइन बैठक मे देशभर से कुल 1700 से उपर गवर्निंग काउँसिल के सदस्य शामिल हुए । सभी सदस्यो ने सभी प्रस्तावो समेत 100 रू के सदस्यता पर भी अपनी सहमति प्रदान की । 100 सदस्यता के प्रस्ताव पास होते ही के पी ट्रस्ट मे 150 साल बाद आम कायस्थो के सदस्य बनने का रास्ता साफ हो गया साथ ट्रस्ट मे आम कायस्थो की भागीदारी सुनिशिचत हो गयी । बैठक समाप्त होने के बाद के पी ट्रस्ट अध्यक्ष डॉ सुशील कुमार सिन्हा ने मिडिया से बात करते हुए कहाँ कि 100 रू के सदस्यता के माध्यम से आम कायस्थो को ट्रस्ट से जोडना तथा भागीदारी दिलाना हमारा चुनावी वादा था जो हमने आज प्रस्ताव पास कराकर आम कायस्थ जो अभी तक ट्रस्ट के सदस्य नही थे उनको सदस्य बना कर उनमे विशवास जगाने का काम किया गया । इस प्रस्ताव पास कराने मे सभी न्यासधारियो तथा सभी पदाधिकारियो सभी मिडिया के मित्रो जो सदैव मेरे साथ खडे रहे इस संघर्ष मे तथा आम कायस्थो को बधाई तथा आभार व्यक्त करता हुँ। चुनाव आचार संहिता लगने के कारण प्रशासन द्वारा अनुमति न देने की वजह से के पी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ सुशील सिन्हा ने अपनी टीम के साथ आनलाइन जूम बैठक करने का निर्णय लिया, इसी कड़ी में आज ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई जिसमें बहुमत से आम कायस्थ कोध100 में ट्रस्ट की सदस्यता लेने का अधिकार देते हुए अपने चुनावी वादों के मजबूत इरादों को पूर्ण किया । बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ सुशील ने बताया कि कड़ी मेहनत और समाज के पुरजोर सहयोग से यह हो पाया। अध्यक्ष डॉ सिन्हा खुले मन से सभी को साथ लेकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त किया और जो बीत गई सो बात गई कर आगे की सुध ले के सूत्र पर सभी को ट्रस्ट में आमंत्रित किया। महामंत्री वीर कृष्ण श्रीवास्तव ने बैठक की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1700 से अधिक न्यासा धारी ने बैठक में सहभागिता की जो कि कायस्थ पाठशाला के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय के रूप में हुआ स उन्होंने बताया कि चिकित्सा सुविधाओं और ब्लड बैंक को भी शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया और उन्होंने कहा कि दूर–दराज से भी लोगों की बध ाइयां इस पुनीत कार्य के लिए आ रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ सुशील सिन्हा एवं संचालन वीर कृष्ण जी ने किया मंच पर उपाध्यक्ष वित्त गोपी कृष्ण श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। उक्त बैठक के उपरांत खुशी मनाने वालों में अरुण श्रीवास्तव उपाध यक्ष सुधांशु श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, प्रो डॉ ऋतुराज श्रीवास्तव ,निशीथ वर्मा, ,दिलीप श्रीवास्तव,योगेंद्र श्रीवास्तव,अजय श्रीवास्तव संजय श्रीवास्तव, अंकितराज, प्रखर श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, शिव मामा ,अमित श्रीवास्तव ,मनीष श्रीवास्तव अनुराधा श्रीवास्तव,अलका सक्सेना, डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, कल्पना श्रीवास्तव ,प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता पवन श्रीवास्तव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

अधिवक्ता के हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर जनपद के सभी अधिवक्ता संघ करेंगे आंदोलन

फूलपुर में अधिवक्ता पर जानलेवा हमले किए जाने के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तथा महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज न किए जाने के मामले में जिला अधिवक्ता संघ ने कड़ा विरोध जताया है। जिलाअधिवक्ता संघ द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि 24 घंटे में अधिवक्ता के हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जनपद के सभी अधिवक्ता संघ विरोध प्रदर्शन व आंदोलन को बाध्य होंगे। साथ ही आगामी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार का विरोध करने पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें कि सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, रज्जू तथा मंत्री दिनेश चंद पांडे ने विधि संवाददाताओं संघ एक बैठक कर कहा कि भाजपा के सांसद एवं मंत्री के विशेष प्रभाव एवं दबाव के कारण थाना फूलपुर की पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। 22अक्टूबर 24 की सुबह कूड़ा फेंकने से मना करने पर अधिवक्ता शिवम पांडे को जान से मारने की नीयत से एक राय होकर अनिल, गंगा प्रसाद, आदित्य, गौरव और गोल्डी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी, डंडा , सरिया व चापड़ से मारा पीटा। जब शिवम का भाई शुभम, विनीत और राहुल बीज बचाओ करने गए तो उनको भी मारा पीटा। चार व्यक्ति जीवन मृत्यु के बीच अस्पताल में थे। अध्यक्ष व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि प्रभारी निरीक्षक फूलपुर द्वारा भाजपा नेताओं के आदेश से प्रभावित होकर घायल वकील सहित पीड़ितों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं घायलों की रिपोर्ट दर्ज करने में बहाने बाजी करने लगे। वकीलों के प्रयास से शिवम पांडे एडवोकेट की ओर से मुकदमा तो दर्ज किया गया पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। एक अन्य मामले का जिक्र करते हुए अध्यक्ष व मंत्री ने बताया कि अधिवक्ता योगेंद्र कुमार सिंह की पुत्री मुस्कान सिंह एडवोकेट के साथ भाजपा युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष बचवन गुप्ता आदि द्वारा मारपीट की गई। बेइज्जत कर उनके कपड़े फाड़े और अश्लील हरकत की गई। प्रार्थना पत्र देने पर प्रभारी कोतवाली द्वारा भाजपा नेताओं के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अंत में संघ के अध्यक्ष व मंत्री ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी की अधिवक्ता विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की विचारधारा अधि वक्ता विरोधी है, जैसा कि उपरोक्त घटनाओं से स्पष्ट है।अधिवक्ता शिवम पांडे के हमलावरों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी न होने तथा महिला अधि वक्ता मुस्कान सिंह के साथ घटित घटना की रिपोर्ट दर्ज न होने पर जनपद के सभी अधिवक्ता संघ विरोध प्रदर्शन व आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करने पर भी विचार कर सकते हैं।

अच्छा संस्कार जीवन को देता है नया रूपः आईपीएस कुलदीप

पूर्व आईपीएस कृपाशंकर सिंह ने बच्चों को किया प्रोत्साहित

गुरुकुल माण्टेसरी स्कूल में वार्षिक समारोह उत्सव 2024 का आयोजन

प्रयागराज। गुरुकुल माण्टेसरी स्कूल शांतिपुरम प्रयागराज के सीनियर विंग में 14वें वार्षिक समारोह उत्सव 2024 का आयोजन धूमधाम से आज हुआ। आकर्षक ढंग से सजे हुए विद्यालय परिसर में स्वागतोत्सुक विद्यालय के एनसीसी के कैडेट्स तथा स्कासड गाइड के छात्रों ने परंपरा को निभाते हुए मुख्य अतिथि कुलदीप गुलावा आईपीएस एसपी गंगापार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। विद्यालय के चेयरमैन कृपा शंकर सिंह रिटायर आईपीएस, प्रबंधक प्रमिला सिंह, निदेशक वीरेन्द्र सिंह, सह निदेशक ऋतिज विक्रम सिंह तथा प्रधानाचार्या अमिता मिश्रा ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनन्दन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। संगीत शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों ने सरस्वती वन्दना, गणेश वन्दना, विद्यालय गीत तथा स्वागत गीत की बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व आईपीएस कृपाशंकर सिंह ने की तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या अमिता मिश्रा ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विगत वर्ष में विद्यालय की अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दी तथा छात्रों को और भी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का मुख्य आर्कषण संघ लय की गूंज, सल्यूट टू द नेशन्स प्राइड, वैदिक भाषा संस्कृत, अपराजिता, आदि शक्ति महाशक्ति, अभिव्यक्ति एवं सार्थकता (नवरस) आसमां और भी है, वायब्रेट इंडिया, ट्रीब्यूट टू मातृशक्ति, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडियन सिनेमा इत्यादि सुन्दर नृत्य के साथ – साथ सुप्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा के र्मा के द्वारा लिखी गयी कहानी वसीयत तथा अंग्रेजी नाटक रानी पद्मावती और एंग्री बाबा नामक हास्य नाटक रहा। इसके साथ ही एटीएल (अटल टिंकरिंग लैब) के छात्रों ने अपने द्वारा बनाए गए आधुनिकतम रोबोटिक्स का प्रदर्शन किया। शैक्षणिक एवं सह–पाठ्यक्रमी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों एवं शिक्षकों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि अच्छा संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा परिवारों के बढ़ने के साथ–साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों में छिपि हुई प्रतिभा को निराखना आसान होता है। कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावकगण तथा शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने समारोह की इन इंद्रधनुषी प्रस्तुतियों की खूब सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्या अमिता मिश्रा ने अत्तिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हमें उम्मीद है कि हमारे छात्र भविष्य में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहेंगे।

महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां ने शिविर लगाने को मांगी जमीन–सुविधा

महाकुंभ के मेलाधिकारी विजय किरन आनंद को जमीन आवंटन के लिए सौंपा आवेदन

कई देशों से बड़ी संख्या में आएंगे शिष्य, करेंगे कल्पवास रू हिमांगी सखी मां

प्रयागराज। विश्व की प्रथम पांच भाषाओं में श्रीमद्भागवद् कथा करने वाली और वाराणसी लोकसभा चुनाव की पूर्व प्रत्याशी किन्नर महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी मां ने महाकुंभ के मेलाधिकारी विजय किरन आनंद को महाकुंभ में शिविर लगाने के लिए जमीन और सुविधा के लिए आवेदन पत्र आज दिया है। मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी मां को आश्वस्त किया कि शिविर लगाने के लिए महाकुंभ में उनको जमीन और सुविधाएं दी जाएंगी। महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी मां ने बताया कि वह प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ में अलग – अलग भाषाओं में श्रीमद्भागवत कथा, श्रीराम कथा का प्रवचन और सनातन धर्म की मजबूती के लिए प्रवचन करूंगी। उन्होंने बताया कि शिविर में कथा, प्रवचन, विभिन्न सामाजिक विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम, पूजन, हवन और भण्डारा चलेगा जिसमें बड़ी संख्या में देश, विदेश के शिष्य और श्रद्धालु शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और वह लोग परिवार सहित माहभर शिविर में रहकर दोनों वक्त गंगा स्नान और कल्पवास करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी मां ने बताया कि महाकुंभ के दौरान शिविर में अमेरिका,जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, रूस, नेपाल सहित अन्य देशों से बड़ी संख्या में शिष्य परिवार सहित आ रहे हैं। यह सभी लोग माहभर संगम की रेती पर कल्पवास करते हुए भगवद् भजन करेंगे। उन्होंने बताया कि देश और विदेश से आने वाले बड़ी संख्या में शिष्य प्रयागराज के आसपास के प्रमुख धार्मिक धार्मिक स्थलों अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, कौशांबी, कुशीनगर, मिर्जापुर सहित अन्य स्थानों पर जाकर वह लोग पूजन, अर्चन करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी मां ने कहा कि जिस तरह से केन्द्र और प्रदेश सरकार।

वाराणसी से प्रयागराज का सफर होगा आसान, गंगा पर नया रेलवे ब्रिज बनकर तैयार

प्रयागराज, 27 अक्टूबर। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने का का अनुमान है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार भी इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए दिन रात तैयारियां कर रही हैं। रेल मार्ग से वाराणसी से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी पर बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे सेतु आगंतुकों का सफर आसान करेगा। 495 करोड़ के बजट से बने रेल सेतु में दिसंबर से रेल परिवहन होगा शुरू महाकुंभ 2025 में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के सड़क परिवहन से कुंभ नगरी पहुंचने का अनुमान है। सड़क परिवहन के बाद सबसे अधिक लोग रेल मार्ग से ही प्रयागराज पहुचेंगे। इस बार लगभग 10 करोड़ लोगों के ट्रेन के जरिये महाकुंभ पहुचंने का अनुमान है। रेलवे की तरफ से भी इसे लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एक तरफ जहां रेलवे स्टेशनों और ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ रेल मार्ग में सेतुओं का निर्माण कर भीड़ का दबाव कम करने का प्रयास हो रहा है। वाराणसी से प्रयागराज के बीच रेलमार्ग को सुगम बनाने के लिए दारागंज से झूंसी के बीच नए रेल पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। बस पुल में रेलवे ट्रैक बिछाने और गिट्टी डालने का कार्य शेष है। रेल विकास निगम लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनय अग्रवाल के मुताबिक 495 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है जो दिसम्बर तक रेल परिवहन के लिए खोल दिया जाएगा। 2700 मीटर लंबे पुल में डबल ट्रैक से कम होगा दबाव प्रयागराज रामबाग–वाराणसी रेल मार्ग में गंगा नदी पर अभी तक केवल एक ही रेल पुल था जिसमें सिंगल ट्रैक होने की वजह से झूंसी और राम बाग रेलवे स्टेशन में ट्रेन को देर तक रोकना पड़ता था। लेकिन अब इस 2700 मीटर लंबे नए रेल पुल के बन जाने से रेल यात्रियों को इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि यह डबल ट्रैक वाला रेल पुल है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनय अग्रवाल बताते हैं कि कुंभ के प्रमुख पर्वों के दौरान वाराणसी मार्ग से आने वाले रेल यात्रियों को झूंसी स्टेशन में ही उतारकर कुंभ क्षेत्र ले जाने की योजना पर राज्य सरकार से विचार चल रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन में होल्डिंग एरिया का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन गैर पर्व के दिनों में ट्रेनों के अप एंड डाउन में इस नए रेल पुल का बड़ा योगदान होगा। इससे स्टेशनों पर यात्रियों का दबाव कम होगा और समय की बचत होगी।

नगर निगम के संविदाकर्मियों की बल्ले–बल्ले, होंगे परमानेंट

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में काम कर रहेद संविदाकर्मी परमानेंट होंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों से उनके यहां कार्यरत संविदाकर्मियों का ब्योरा मांगा है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने संविदाकर्मियों को विनियमित करने के लिए नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है। निदेशक ने नगर निगमों में 31 दिसंबर 2001 या उससे पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों का ब्योरा देने के लिए कहा है। पत्र के साथ नगर निगमों को फॉर्मेट भेजा गया है, जिसमें ब्योरा देना है। इसमें 12 सितंबर 2016 को कार्मिक अनुभाग–2 की ओर से दैनिक कार्मिकों के विनियमितीकरण नियमावली–2016 की अधि ासूचना का भी जिक्र है, जिसपर वित्त विभाग ने आपत्ति लगाई थी।नगर निगम के एक अधिकारी के मुताबिक आपत्ति की बाधा अब नहीं है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने शासन से वार्ता में संविदाकर्मियों को स्थायी करने का भी प्रस्ताव रखा था। 25 अक्तूबर को जारी किए गए पत्र के आधार पर नगर निगम को तीन दिन में ब्योरा भेजना है।नगर पंचायत और नगर पालिका के संविदा और दैनिक कर्मियों को भी स्थायी किया जाएगा। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 31 दिसंबर 2001 या इससे पहले कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का ब्योरा भी मांगा गया है। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को भी नगर निगमों की तरह निदेशालय को ब्योरा भेजना होगा।

सम्पादक
सिद्धनाथ द्विवेदी
प्रबन्धक निदेशक
दीपक जयसवाल
सम्पादकीय कार्यालय
11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सिद्धनाथ द्विवेदी द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 399 कृष्णानगर कीडगंज से प्रकाशित।
सम्पादक–सिद्धनाथ द्विवेदी, आरएनआई नं. UPHIN/2007/22706 रजि.नं. AD-32/2008-09 ईमेलः amritkt.alld@gmail.com फोन नं. : 9453273951, 8799627062